सार्वजनिक नीलाम सूचना जिला पंचायत हमीरपुर
(तहबाजारी बालू, मौरंग, बजरा, गिट्टी ठेका वर्ष 2016–17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासकीय गजट दिनांक 28 मार्च 2015 की विज्ञप्ति संख्या 847/23–एल0बी0ए0/उपविधि–प्रकाशन दिनांक 16 मार्च 2015 के अनुसार जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत तालाब, नदियों एवं पहाड़ों से निकलने वाली बालू, मौरंग, बजरा आदि की तहबाजारी ठेका की नीलामी वर्ष 2016–17 अर्थात दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि हेतु निम्न विवरण के अनुसार जिला पंचायत सभागार में किया जाना है।

क्र0सं0	मद का नाम	जमानत धनराशि	नीलामी तिथि व समय
1	2	3	4
	गिट्टी, पत्थर, मौरंग, बालू, की खनिज तहबारी ठेका नीलामी .	10.00 लाख	28.03.2016 अपरान्ह 12:00 बजे से

उक्त विवरण के अनुसार खनिज तहबाजारी ठेका नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को नीलाम बोली के पूर्व निर्धारित जमानत धनराशि नीलाम समिति के समक्ष नगद/ड्रफ्ट रूप में जमा करना होगा तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मु0 25.00 लाख रू0 का हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रामण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त विवरण के अनुसार नीलामी न होने की दशा में ठेका नीलामी आगामी दि0 31.03.2016 को सम्पन्न कराई जायेगी। सर्वोच्च बोलीदाता को बोली की आधी धनराशि तुरन्त जमा करना होगी।

नीलाम शर्ते

1. तहबाजारी ठेका/नीलामी की कार्यवाही शासकीय गजट दिनांक 28 मार्च 2015 की विज्ञप्ति संख्या 847/23–एल0बी0ए0/उपविधि–प्रकाशन दिनांक 16 मार्च 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
2. नीलामी बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं मु0 25.00 लाख रू0 की हैसियत प्रमाण–पत्र वैधता के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा।

3. जिला पंचायत हमीरपुर के किसी भी बकायेदार, जिला पंचायत अधिकारी/कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि के सगे रिश्तेदार व पंजीकृत अधिवक्ता को नीलामी बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

4. नीलामी के पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को मु0 10.00 लाख नगद/राष्ट्रीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हमीरपुर के पद नाम से नीलाम समिति के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा। बोली की धनराशि बढ़ जाने पर नीलाम समिति को अधिकार होगा कि जमानत की धनराशि पुनः निर्धारित कर प्रत्येक पक्ष से नगद जमा कराकर आगे बोली जारी करायें।

5. नीलामी बोली सामाप्ति के पश्चात् उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की आधी धनराशि एक मुश्त जमा न करने की दशा में उनकी जमा धनराशि जब्त करते हुये द्वितीय बोलीदाता की बोली पर नियामानुसार विचार किया जा सकता है।

6. खनिज तहबाजारी ठेका/नीलाम सम्पन्न कराने हेतु गठित नीलाम समिति की संस्तुति पर ठेका की स्वीकृत मा0 अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. नीलामी के पश्चात् अधिकतम बोलीदाता को कार्यादेश स्वीकृत शर्तो के अनुबन्ध के उपरान्त निर्गत किया जायेगा।

8. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जनपद में किसी भी वसूली स्थल पर वैरियर लगाकर वसूली नहीं की जायेगी तथा नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे में कोई वसूली का कार्य नहीं किया जायेगा।

9. अधिकतम बोलीदाता को सक्षम प्रधिकारी से स्वीकृतोपरान्त निर्धारित दर के स्टाम्प पर अनुबन्ध की औपचारिकताऐं स्वीकृत शर्तो पर पूर्ण कराना होगा।

10. नीलामी बोली की समाप्ति के पश्चात् प्रथम व द्वितीय बोलीदाताओं की जमानत रोककर अन्य सभी बोलींदाताओं की जमानत मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वापस कर दी जायेगी।

11. ठेके की अवधि समाप्ति के पूर्व ही यदि ठेकेदार द्वारा ठेका छोड़ दिया जाता है अथवा उसके द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं उपविधि में वर्णित शर्तो का उल्लघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ठेका जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा निरस्त करते हुए पुनः सार्वजनिक नीलामी द्वारा अथवा निविदा आमंत्रित करके नीलामी पर ठेका दिया जायेगा। यदि